न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 106/25 GCMS NO 2025/218

रामरति पुत्री रामफूल पत्नि हरि जाति माली निवासी ग्राम जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र हजारी
2. मांगीलाल पुत्र हजारी
3. मुनेश पुत्र शिवचरण
4. काडू पत्नि शिवचरण
5. रवि पुत्र शिवचरण
6. संतोष पुत्र शिवचरण
7. बुधराम पुत्र कल्याण
8. बलदेव पुत्र कल्याण
9. हरि पुत्र कल्याण निवासीयान ग्राम तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर
10. कमली पुत्री हजारी पतिन मुरारीलाल निवासी ग्राम बाढ तहसील गंगापुर सिटी
11. केली पुत्री हजारी पत्नि लक्ष्मण निवासी ग्राम कांकर रेती तहसील गंगापुर सिटी
12. गोलो पुत्री हजारी पत्नि रूपल निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
13. बुद्वि पुत्री हजारी पत्नि रामखिलाडी निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
14. मंगली पुत्री हजारी पत्नि रामकेश निवासी ग्राम बाढ तहसील गंगापुर सिटी
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तलावडा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 3/23 निर्णय व डिक्री दिनांक 6.8.25 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा
अभिभाषक रेस्पो0 श्री मो0इस्लाम

दिनांक 18.05.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 6.8.25 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 दावा घोषणा खातेदारी ,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम तलावडा मे भूमि खसरा न0 617 रकबा 0.36 है0, 618 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.29 है0, 621 रकबा 0.02 है0, 623 रकबा 0.34 है0 स्थित है। उक्त भूमि मे रामफूल पुत्र छीतरया का हिस्सा 1/3 दर्ज था तथा चाह खसरा न0 621 मे रामफूल का हिस्सा 1/6 दर्ज था। रामफूल ने अपने जीवन काल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे समस्त चल अचल सम्पति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.08.1996 को उप पंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष रजिस्टर्ड करवा दी थी। जिसमे उसने अकित किया कि उक्त समस्त आराजीयात का मेरे जीवनकाल मे मै मालिक रहूँगा मेरे मरने के बाद उक्त आराजीयात मेरी दोनो पत्नियो के अधिकार मे रहेगी तथा मेरी दोनो पत्नियो के पश्चात मेरे मकान व चल सम्पति का मालिक जयनारायण रहेगा तथा मेरी खातेदारी भूमि जो तलावडा मे स्थित है के मालिक हजारी व कल्याण रहेगे। रामफूल के मरने के बाद ग्राम पंचायत तलावडा द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण गलत रूप से श्रीमती भागोती व हीरादेवी के नाम तस्दीक कर दिया तथा भागोती की विरासत श्रीमती रामरति पुत्री रामफुल के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी जबकि वसीयत के मुताबिक 1/2 हिस्सा जयनारायण,हजारी एवं कल्याण के वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन भागोती के मरने के बाद 1/6 हिस्सा रामरति के नाम दर्ज कर दिया तथा अब हीरादेवी के मरने के बाद भी हीरादेवी के हिस्से को भी रामरति के नाम दर्ज करने पर तहसीलदार तलावडा आमादा है। जबकि वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने के लिए आवेदन दिनांक 3.12.22 को पेश किया परन्तु तहसीलदार तलावडा ने उस पर कोई कार्यवाही नही की है। प्रतिवादिया संख्या 1 राजस्व कर्मचारियो से मिलकर रामफूल के हिस्से की समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पर आमादा है। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम तलावडा मे स्थित भूमि खसरा न0 617 रकबा 0.36 है0, 618 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.29 है0, 621 रकबा 0.02 है0, 623 रकबा 0.34 है0 जिसमे रामफूल के हिस्से मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामरति का हिस्सा 1/2, 1/2 है लेकिन रामरति का हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया है को हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ताफैसला दावा भूमि की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाई रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 रामरति द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा न0 617,618,619,621,623 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट काबिज हो काश्त कर रहे है। किन्तु रेस्पो0 ने अपीलांट की फर्जी तामिल करवाकर एक तरफा मे उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जो निरस्तनीय है। रेस्पो0 द्वारा अपील साक्ष्य प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की है किन्तु उक्त वसीयत वादीगण/रेस्पो0 द्वारा उक्त वसीयत को अपीलांट के पिता के जीवनकाल मे कभी भी सार्वजनिक नही किया है ना ही अपीलांट की माता के जीवनकाल मे उक्त वसीयत को सार्वजनिक किया। उक्त वसीयत अपने आप मे संदिग्ध व फर्जी वसीयत है इस कारण रेस्पो0 ने गुपचुप तरीके से अपीलांट को बिना सूचना दिये गलत तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करवाकर उक्त निर्णय व डिक्री एक तरफा मे पारित करवाया है। जो निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामा0 अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक किया गया व माता की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामा0 भी अपीलांट के नाम तस्दीक किया। किन्तु उक्त नामा0 को रेस्पो0 द्वारा किसी भी न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया गया तथा साजिशी दावा पेश कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। यदि रेस्पो0 को अपीलांट के हिस्से के सबंध मे कोई आपत्ति थी तो उन्हे उक्त नामा0 की समक्ष न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। किन्तु रेस्पो0 ने न्यायालय से उक्त तथ्यो को छिपाकर उक्त दावा एक तरफा मे निर्णित करवाया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है अपीलांट को उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है यदि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट प्रकरण मे आवश्यक रूप से अपना पक्ष रखती व उक्त फर्जी दस्तावेज के संबंध मे साक्ष्य प्रस्तुत करती जिससे समस्त प्रकरण की सच्चाई न्यायालय के समक्ष आती किन्तु उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये उक्त निर्णय व डिक्री आनन फानन मे पारित की है जो निरस्तनीय है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श 1 वसीयत को फर्जीयत इसी बात से साबित है कि उक्त वसीयत मे यह अंकित कर दिया गया है कि वसीयतकर्ता के कोई जायन्दा आलौद नही है जबकि अपीलांट उनकी एक मात्र पुत्री है तो अपीलांट के पिता को वसीयत लिखने का कोई कारण ही नही था जिससे ही स्पष्ट है कि रेस्पो0 के परिवारजन ने उक्त वसीयत फर्जी तैयार की है व जिस सम्पति बाबत उक्त दस्तावेज तैयार किया गया है वह सम्पति पैतृक है तथा पैतृक सम्पति बाबत कानूनन वसीयत नही की जा सकती है। इस कारण भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि खसरा न0 621 के खातेदार को भी उक्त दावे मे पक्षकार नही बनया गया है जिससे ही स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा सोची समझी साजिश के तहत उक्त दावा प्रस्तुत कर एक तरफा मे निर्णित कराया है जो निरस्तनीय है। प्रदर्श 1 की फर्जीयत इसी बात से साबित है कि रेस्पो0 द्वारा उक्त वसीयत बाबत कोई प्रोवेट प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किया है इस कारण भी उक्त वसीयत संदिग्ध है। उक्त दावे के खातेदारान जयनारायण पुत्र हरिया दत्तक पुत्र रामफूल व रेस्पो0 के मध्य उसी न्यायालय मे अन्य मुकदमे भी विचाराधीन रहे है जिसमे अपीलांट भी पक्षकार है। जिसकी जानकारी भी अधिनस्थ न्यायालय को रही है किन्तु उसके बाबजूद भी रेस्पो0 द्वारा कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कराई है यदि वास्तव मे दावे की जानकारी अपीलांट को होती तो अपीलाट अधिनस्थ न्यायालय मे अपना अधिवक्ता नियुक्त करती। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के झूठे कथनो को आधार मानकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा अपने वाद पत्र के अनुतोष के उपमद क मे अपीलांट का 1/2 हिस्सा घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा है किन्तु उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर उसकी खातेदारी अधिकारो को समाप्त करने का आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा अपने दावे मे उज्र लिया है कि रेस्पो0 संख्या 1 हीरादेवी के हिस्से का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नामा0 खुलाने पर आमादा है अपीलांट की माता भागोली के हिस्से बाबत कोई आपत्ति नही की है जिससे ही स्पष्ट है कि अपीलांट के हक मे तस्दीक किये गये नामा0 की रेस्पो0 द्वारा स्वीकृति प्राप्त की थी उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने पिलिंडिग व अनुतोष से बाहर जाकर उक्त निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्तनीय है। उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी अपीलांट को पूर्व मे नही रही है। दिनांक 10.9.25 को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमि मे दर्ज अपने हिस्से की सार संभाल कर रही थी तो रेस्पो0 ने अपीलांट को धमकाते हुए कहा कि यह भूमि हमने कोर्ट से हमारे नाम करवा ली है चुपचाप भूमि को खाली करो बरना हम तुम्हे जबरन बेदखलकर देगे व भूमि का उपयोग उपभोग नही करने देगे व भूमि को रहन बेचान करेगे। इस पर अपीलांट को आश्चर्य हुआ एवं अपीलांट के अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जाकर नकल प्राप्त की। जिससे उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपास्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलांट के कथनो को नकारते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह तथ्य मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यो के विपरीत जाकर निर्णय व डिकी पारित की है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य का विवेचन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की फर्जी तामिल कराई गई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट अर्थात प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये है , जो अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट के स्वयं के द्वारा अगूठा निशानी की गई है तथा तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्मन पर बाद तामिल रिपोर्ट प्रस्तुत है का अंकन किया गया है। इससे स्पष्ट साबित है कि अपीलांट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। बाबजूद तामिल के अपीलांट उपस्थित नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट के पिता द्वारा कोई वसीयत नही की है , तथा तथाकथित वसीयत फर्जी है, जबकि वसीयतकर्ता द्वारा की गई वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है जो प्रदर्श 2 है। यदि अपीलांट रजिस्टर्ड वसीयत को फर्जी मानते है तो उनको फर्जकारी के सबंध मे कानूनी कार्यवाही करानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नही कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड वसीयत की जानकारी अपीलांट को शुरू से रही है। उक्त वसीयत दिनांक 01.08.96 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मृतक रामफूल के भाई हजारी व कल्याण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु मृतक रामफूल की पत्नि हीरादेवी व उसकी पुत्री रामरति /अपीलांट के नाम विरासत का नामा0 गलत रूप से खोल दिया गया था। हीरादेवी की भी मृत्यु हो जाने से वसीयत के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये है। जहॉ तक रामफूल व हीरादेवी की मृत्यु के उपरान्त खोले गये नामा0 को रद्व कराने का प्रश्न है तो वह रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.08.96 के आधार पर शुरू से ही प्रभाव शून्य है। जिनको सक्षम न्यायालय मे चुनौती देने का कोई महत्व नही रहा है। वादीगण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पर वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है। जिसे वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आंदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 617,618,621,623 ग्राम तलावडा मे स्थित है। जिसमे रामफूल पुत्र छीतर का 1/3 हिस्सा रहा है तथा चाह खसरा न0 621 मे रामफूल का 1/6 हिस्सा दर्ज रहा है। रामफुल पुत्र छीतर द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 01.08.96 को रजिस्टर्ड वसीयत की गई है जो प्रदर्श 2 है। उक्त वसीयत मे मृतक रामफूल द्वारा अंकित किया है कि मेरे जीवनकाल मे उक्त आराजीयात का मै मालिक रहूगां तथा मेरे मरने के बाद उक्त आराजीयात मेरी दोनो पत्नियो के अधिकार मे रहेगी तथा मेरी दोनो पत्नियो के पश्चात मेरे मकान व चल सम्पति का मालिक जयनारायण रहेगा तथा मेरी खातेदारी भूमि जो तलावडा मे स्थित है के मालिक हजारी व कल्याण रहेगे। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अपीलांट की फर्जी तामिल कराई गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सम्मन अपीलांट के अवलोकन से जाहिर है कि सम्मन पर रामरति द्वारा अगूठा निशानी की गई है तथा तामिल कुन्निदा द्वारा बाद तामिल का अंकन है। इस प्रकार यह स्पष्ट नही है कि तामिल फर्जी है। अपीलांट बाद तामिल के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायलय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वसीयत दिनांक 01.8.96 फर्जी है। पत्रावली मे उपलब्ध वसीयत प्रदर्श 2 के अवलोकन से जाहिर है कि वसीयत दिनांक 01.08.96 रजिस्टर्ड वसीयत है। यदि उक्त वसीयत फर्जी है तो अपीलांट द्वारा फर्जकारी के सबंध मे क्या कानूनी कार्यवाही की गई है इस सबंध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। जहॉ तक वसीयत को सार्वजनिक करने का प्रश्न है तो वह वसीयतकर्ता की स्वयं के विचार है कि वह वसीयत को सार्वजनिक करे या नही। रामफूल पुत्र छीतर की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामा0 अपीलांट व उसकी मां हीरादेवी के नाम खोला गया है एवं हीरादेवी की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 अपीलांट के नाम खोला गया है जबकि मृतक रामफूल द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त दोनो की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 कल्याण व हजारी के नाम दर्ज होना चाहिए था। रामफूल व हीरादेवी की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 अपीलांट के नाम विधि विरूद्व खोला गया है । वादीगण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 3/2023 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.5.226 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

डिगरी बसीगे अपील
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure code, Appendix G)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर
बइजलास श्री लक्ष्मीकांत वालोत आर ए एस

रामरति पुत्री रामफूल पत्नि हरि जाति माली निवासी ग्राम जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र हजारी
2. मांगीलाल पुत्र हजारी
3. मुनेश पुत्र शिवचरण
4. काडू पत्नि शिवचरण
5. रवि पुत्र शिवचरण
6. संतोष पुत्र शिवचरण
7. बुधराम पुत्र कल्याण
8. बलदेव पुत्र कल्याण
9. हरि पुत्र कल्याण निवासीयान ग्राम तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर
10. कमली पुत्री हजारी पतिन मुरारीलाल निवासी ग्राम बाढ तहसील गंगापुर सिटी
11. केली पुत्री हजारी पत्नि लक्ष्मण निवासी ग्राम कांकर रेती तहसील गंगापुर सिटी
12. गोलो पुत्री हजारी पत्नि रूपल निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
13. बुद्वि पुत्री हजारी पत्नि रामखिलाडी निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
14. मंगली पुत्री हजारी पत्नि रामकेश निवासी ग्राम बाढ तहसील गंगापुर सिटी
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तलावडा

रेस्पो0

अपील संख्या 106/2025 निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 6.8.25 वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 106/25 व तारीख 18.05.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री तरूण शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री मो0इस्लाम उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति मे हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 3/23 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.8.25 को यथावत रखा जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 18.05.26 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	महन्ताना वकील	---	---